

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 721वीं बैठक दिनांक 06.05.2022
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 721वीं बैठक दिनांक 06.05.2022 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	7575/2020	1(a)	मैगनीज खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	8873/2021	7(da)	बायो मेडिकल वेस्ट	For Revised EIA	स्पष्टीकरण
3.	9094/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	9096/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
5.	9097/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9098/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	9100/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9101/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	8396/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	7229/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	7231/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	8491/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	7230/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	8659/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	8657/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	8656/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	9102/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9103/2022	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	9104/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
20.	9105/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	8694/2021	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत

1. प्रकरण क्रमांक 7675/2020 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.पी. त्रिवेणी सन्स, निवासी मेन रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मैगनीज ओर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 62000 से 90868 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 129, 143, 145, 147/2, 146/1-2, 147/1-3-4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392,

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, रकबा 43.086 हेक्टेयर, ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

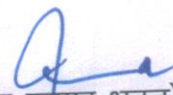
प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी क जिला बालाघाट के पत्र क्र. 9681 दिनांक 05.10.2011 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि के अंदर स्थित है।
2. लीज संबंधी विवरण - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आदेश क्र. 670-671 दिनांक 02.06.2015 के अनुसार 10 वर्ष (30.06.3032) की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 75 किलो लीटर प्रतिदिन है (5.0केएलडी हरित पट्टी विकास + 143 केएलडी धूल धमन हेतु + 15 केएलडी पेयजल + 40 केएलडी अन्य खनन गतिविधि हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. वृक्षारोपण कार्य-परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 19500 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. जनसुनवाई -उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 15.09.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट में अपर कलेक्टर, बालाघाट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण, विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 721वीं बैठक दिनांक 06.05.2022
का कार्यवाही विवरण

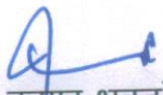
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त, जबलपुर की बैठक दिनांक 20.04.2017 के परिपलन में वन सीमा की ओर चैनलिंग फेन्सिंग किये जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभीवादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 19500 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम रमरमा के आंगनवाडी केन्द्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्श से 1 वर्ष तक पोषण अहार (दूध, अंडे एवं मौसमी फल आदि) का वितरण किया जाये।
- सोनावनी वन ग्राम के आंगनवाडी केन्द्र में वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट के परामर्श से 1 वर्ष तक पोषण अहार का वितरण किया जाये।
- मंगल भवन की मरम्मत के साथ भवचन की बाउन्ड्रवाल एवं किचन सेड का निर्माण किया जाये।
- समुदायिक हाल एवं महादेव मंदिर के चारो ओर पेयबल ब्लाक लगाये जाये।
- जल संसाधन विभाग कि अनुमति उपरांत ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम स्थित नाले का गहरीकरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.पी. त्रिवेणी सन्स, निवासी मेन रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीज ओर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 62000 से 90868 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 129, 143, 145, 147/2, 146/1-2, 147/1-3-4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, रकबा 43.086 हेक्टेयर,


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आदेश क्र. 670-671 दिनांक 02.06.2015 के अनुसार 10 वर्ष (30.06.3032 तक विस्तार) की अवधि हेतु स्वीकृत है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29.06.2032 तक वैध रहेगी।

2. **Case No 8873/2021:** Prior Environment Clearance for Proposed Common Bio-Medical Waste Treatment Facility Total Area – 4100 Sq.mt. (1.07 Acre) • 1 No. Incinerator of capacity 100 kg/hr (Dry) • 1 No. Autoclaving of capacity 250 kg/hr • 1 No. Shredding of capacity 100 kg/hr each • ETP Capacity –5 KLD ha., at Plot No. - 84, P & H in Lahgadua Industrial Area, District Chhindwara (MP) by M/s ECO MED Solutions, Shop No. 2, Kheri Road, Sector-98, Dist. Faridabad, Haryana - 121002

The case was considered in 564th SEAC meeting dtd. 15.04.2022 and found that there are some discrepancies and data mismatch in the EIA report and in From-II uploaded by PP. *The committee after deliberations observed that it's not only an issue of cut & paste but also misrepresentation of data and thus committee recommends the PP shall recollect the monitoring data and revise the EIA report based on above discrepancies and submit the same for further consideration & appraisal of the project through SEIAA with logical reasons for above discrepancies and EIA consultant firm M/s Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, New Delhi shall also submit their clarification on above issues.*

In context of above, it is decided that PP should submit revised EIA report by incorporating all the issues as raised by SEAC. EIA consultant firm M/s Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, New Delhi is also instructed to not repeat this type of mistake in future.

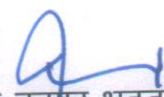
Further it was observed by the authority that this type of issue could have been resolved by SEAC only itself by raising ADS to avoid delay in disposal of the case.

3. प्रकरण क्रमांक 9094/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गुलमोहर स्टोन क्रेशर, श्री अनुराग चतुरमोहता आत्मज श्री चन्द्रशेखर चतुरमोहता, निवासी वार्ड नं. 18, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224/2, रकबा 2.40 हेक्टेयर, ग्राम गोरखपुरखुर्द, तहसील सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

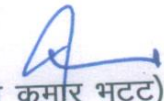
विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से 50 मी, प्राकृतिक नाले एवं हाईटेंशन लाईन से प्रस्तावित खदान के दोनों तरफ न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3600 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम गोरखपुरखुर्द के शासकीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में 100 वृक्ष प्रजाति के पौधों का रोपण ट्री गार्ड एवं प्रजातिवार नेम प्लेट के साथ लगया जाये।
 - ग्राम गोरखपुरखुर्द के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 01 वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गुलमोहर स्टोन क्रेशर, श्री अनुराग चतुरमोहता आत्मज श्री चन्द्रशेखर चतुरमोहता, निवासी वार्ड नं. 18, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 224/2, रकबा 2.40 हेक्टेयर, ग्राम गोरखपुरखुर्द, तहसील सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी का पत्र क्र. 2111 दिनांक 02.01.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.01.2031 तक मान्य रहेगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

4. प्रकरण क्रमांक 9096/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अंकुश शिवहरे आत्मज श्री ओमप्रकाश शिवहरे, निवासी मकान नं. 02, तानसेन नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8085 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 38/4, 38/8, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम धवाई, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जिला खनिज अधिकारी के एकल प्रमाण पत्र क्र. 109 दिनांक 18.01.2022 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अंतरण पूर्व धारा-165 (MPLRC) के अंतर्गत कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, इस कारण उत्खनिपट्टा दिये जाने पर सहरिया आदिवासी भूमिहीन हो जायेंगे एवं प्रकरण में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त भूमि पर खनन से सहरिया आदिवासियों के श्रम के अतिरिक्त आर्थिक हित के लिये क्या प्रावधान है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर शिवपुरी के माध्यम से प्रस्तावित खदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तदनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

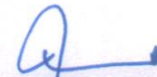
5. प्रकरण क्रमांक 9097/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री हितेश सुराना आत्मज श्री लालचंद जैन, निवासी -20, जैन कॉलोनी, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17670 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10/1/1/क, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम धवाईपाड़ा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी से 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

- ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

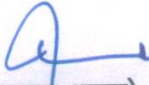
- ग्राम धर्बाईपाड़ा के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 01 वर्ष तक पोषण आहार का वितरण एवं उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री हितेश सुराना आत्मज श्री लालचंद जैन, निवासी 20, जैन कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17670 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10/1/1/क, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम धर्बाईपाड़ा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम का पत्र क्र. 5307 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.12.2031 तक मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्रमांक 9098/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री पुरुषोत्तम यादव आत्मज श्री भंवरलाल यादव, निवासी - ग्राम करनवास, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3601 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 111, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम करनवास, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम करनवास के आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मत एवं रंग रोहन का कार्य किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री पुरुषोत्तम यादव आत्मज श्री भंवरलाल यादव, निवासी - ग्राम करनवास, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3601 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 111, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम करनवास, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ का पत्र क. 1364 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.10.2031 तक मान्य रहेगी।

7. प्रकरण क्रमांक 9100/2022 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल कन्स्ट्रक्शन वर्क्स प्रा.लि. श्री अमित खरे, अधिकृत व्यक्ति, निवासी तृतीय तल, तवा काम्प्लेक्स, बिठूरल मार्केट, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 77286 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 74 भाग रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम पटारी, तहसील बांड़ा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

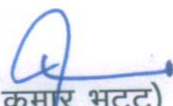
प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से 50मी. एवं प्राकृतिक नाले से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम पटारी के शासकीय प्राथमिक शाला में 20 बेंच व 05 कुर्सियों का वितरण एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।
 - ग्राम पटारी के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 02 वर्ष तक पोषण आहार का वितरण एवं उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल कन्स्ट्रक्शन वर्क्स प्रा.लि. श्री अमित खरे, अधिकृत व्यक्ति, निवासी तृतीय तल, तवा काम्प्लेक्स, बिठूरल मार्केट, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि),


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उत्पादन क्षमता 77286 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 74 भाग, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम पटारी, तहसील बांड़ा, जिला सागर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर का आदेश क. 405 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा शेष अवधि दिनांक 01.11.2027 तक की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.11.2027 तक मान्य रहेगी।

8. प्रकरण क्रमांक 9101/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव जैन आत्मज श्री विमल जैन, निवासी अंबेडकर वार्ड नं. 12, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 117/2 भाग, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम घूरपुर, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

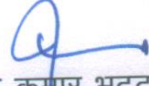
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1230 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम घूरपुर के शासकीय प्राथमिक शाला में 25 टेबिल व कुर्सी सेट एवं रेलिंग लगाने का भी कार्य किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम पटारी के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से पोषण आहार का वितरण किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव जैन आत्मज श्री विमल जैन, निवासी अंबेडकर वार्ड नं. 12, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 117/2 भाग, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम घूरपुर, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायसेन का पत्र क. 3477 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.08.2031 तक मान्य रहेगी।

9. प्रकरण कमांक 8396/2021 — परियोजना प्रस्तावक श्री लोकेश सिंह आत्मज श्री बाबूसिंह राजपूत, निवासी — ग्राम असलावदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 5000 से 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 259, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम कलमोड़ा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 एवं 552वीं बैठक दिनांक 18.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 564वीं बैठक दिनांक 15.04.2022 एवं 552वीं बैठक दिनांक 18.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 6000 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम कलमोड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 2000 लीटर क्षमता के ओवर हैंड टैंक की स्थापना पानी की उचित व्यवस्था के साथ मय कनेक्शन सहित की जाये एवं स्कूल बिल्डिंग की पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री लोकेश सिंह आत्मज श्री बाबूसिंह राजपूत, निवासी - ग्राम असलावदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 5000 से 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 259, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम कलमोड़ा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के आदेश क्र. 1575 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.10.2028 तक मान्य रहेगी।

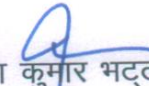
10. प्रकरण क्रमांक 7229/2020 - परियोजना प्रस्तावक श्री सन्नी गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी - हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. ग्राम गंगवरिया 1032/2, 1035/3, ग्राम शुकुलगंवा 3/1/क, 3/1/ख, 3/1/ग, 3/1/घ, 3/2, 3/3, रकबा 2.283 हेक्टेयर, ग्राम गंगवरिया एवं शुकुलगंवा, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला सतना के पत्र क्र. 5729 दिनांक 18.06.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

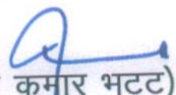

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. लीज संबंधी विवरण – संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल आदेश क्र. 15803 दिनांक 04.10.2018 के अनुसार 10 वर्ष (03.10.2028) की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.175 किलो लीटर प्रतिदिन है (2.74 केएलडी हरित पट्टी विकास + 6.3 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.135 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. वृक्षारोपण कार्य-परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 2740 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, गौशाला क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. जनसुनवाई – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 25.08.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम सुकुलगंवा, तहसील नागौद, जिला सतना में अपर कलेक्टर, सतना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले गौशाला से 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदान धारकों के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- VII. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2740 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

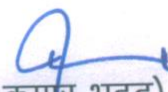
viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम गंगवरिया के शासकीय विद्यालय की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य किया जाये।
- ग्राम गंगवरिया के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से पोषण आहार के लिये 01 वर्ष तक आर्थिक सहायता प्रदान की जायें।
- गौशाला को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाये।
- ग्राम गंगवरिया के शासकीय विद्यालय में शौचालय का निर्माण किया जाये।
- ग्राम गंगवरिया में ग्रामवासियों के लिये वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये एवं औषधि वितरण किया जाये।
- ग्राम गंगवरिया की गौशाला में गायों के स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री सन्नी गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी - हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. ग्राम गंगवरिया 1032/2, 1035/3, ग्राम शुकुलगंवा 3/1/क, 3/1/ख, 3/1/ग, 3/1/घ, 3/2, 3/3, रकबा 2.283 हेक्टेयर, ग्राम गंगवरिया एवं शुकुलगंवा, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल आदेश क्र. 15803 दिनांक 04.10.2018 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.10.2028 तक मान्य रहेगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

11. प्रकरण क्रमांक 7231/2020 – परियोजना प्रस्तावक श्री सन्नी गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी – हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10/1, 10/2, 12/1, 12/2/1, 12/3, 12/4, रकबा 2.974 हेक्टेयर, ग्राम बराज, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

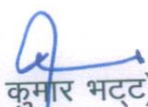
प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला सतना के पत्र क्र. 5725 दिनांक 18.06.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. लीज संबंधी विवरण – संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल आदेश क्र. 15809 दिनांक 04.10.2018 के अनुसार 10 वर्ष (03.10.2028) की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.76 किलो लीटर प्रतिदिन है (2.625 केएलडी हरित पट्टी विकास + 7.0 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.135 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. वृक्षारोपण कार्य-परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 2940 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, गौशाला क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. जनसुनवाई – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 25.08.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम बराज, तहसील नागौद, जिला सतना में अपर कलेक्टर, सतना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले गौशाला से 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- VIII. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2940 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बराज के शासकीय विद्यालय की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य किया जाये।
- ग्राम बराज के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से पोषण आहार के लिये 01 वर्ष तक आर्थिक सहायता प्रदान की जायें।
- ग्राम बराज में सोलर लाईट स्थापित की जाये।
- गौशाला को जोड़ने वाली सड़कों का विकास किया जाये।
- ग्राम बराज के विद्यालय में शौचालय का निर्माण किया जाये।
- ग्राम बराज में ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये एवं औषधि वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री सन्नी गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी – हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 10/1, 10/2, 12/1, 12/2/1, 12/3, 12/4, रकबा 2.974 हेक्टेयर, ग्राम बराज, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल आदेश क. 15809 दिनांक 04.10.2018 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.10.2028 तक मान्य रहेगी।

12. प्रकरण कमांक 8491/2020 – परियोजना प्रस्तावक श्री शुभम गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी – हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 267/2, 268/1ख, 268/2, 271/1/ज/1, 271/1/ज/2, रकबा 1.700 हेक्टेयर, ग्राम बधाव उबारी, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला सतना के पत्र क्र. 5732 दिनांक 18.06.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. लीज संबंधी विवरण – संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल आदेश क. 2131-32 दिनांक 04.02.2019 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.345 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.5 केएलडी हरित पट्टी विकास + 6.720 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.125 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. वृक्षारोपण कार्य-परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 1700 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, गौशाला क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

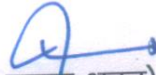
5. जनसुनवाई – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 15.09.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम बघाव उबारी, तहसील नागौद, जिला सतना में अपर कलेक्टर, सतना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदान धारकों के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- VI. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1700 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बघाव उबारी के शासकीय विद्यालय की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य किया जाये।
- ग्राम बघाव उबारी की गौशाला में गायों के लिये पीने की पानी हेतु बोरवेल कराया जाये।
- ग्राम गंगवरिया के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से पोषण आहार के लिये आर्थिक सहायता की जाये।
- ग्राम बघाव उबारी में सोलर लाईट की स्थापना की जाये।
- ग्राम बघाव उबारी के शासकीय विद्यालय में शौचालय का निर्माण किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम बघाव उबारी में ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये एवं औषधि वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री शुभम गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी - हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 267/2, 268/1ख, 268/2, 271/1/अ/1, 271/1/अ/2, रकबा 1.700 हेक्टेयर, ग्राम बघाव उबारी, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल आदेश क्र. 2131-32 दिनांक 04.02.2019 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.02.2029 तक मान्य रहेगी।

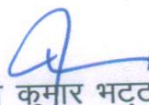
13. प्रकरण क्रमांक 7230/2020 - परियोजना प्रस्तावक श्री शुभम गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी - हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 158/1क, रकबा 1.578 हेक्टेयर, ग्राम बारापत्थर, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला सतना के पत्र क्र. 5727 दिनांक 18.06.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. लीज संबंधी विवरण - संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल आदेश क्र. 13650 दिनांक 23.08.2018 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

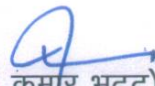
3. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.65 किलो लीटर प्रतिदिन है (3.8 केएलडी हरित पट्टी विकास + 2.80 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.05 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. वृक्षारोपण कार्य-परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 1578 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, गौशाला क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. जनसुनवाई - उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 15.09.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम बारापत्थर, तहसील नागौद, जिला सतना में अपर कलेक्टर, सतना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- VI. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1578 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बारापत्थर के शासकीय विद्यालय की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य किया जाये।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम बारापत्थर की गौशाला में गायों के लिये पेयजल हेतु बोरवेल स्थापित कराया जाये।
- ग्राम बारापत्थर में ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये एवं औषधि वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री सन्नी गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी – हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 158/1क, रकबा 1.578 हेक्टेयर, ग्राम बारापत्थर, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल आदेश क्र. 13650 दिनांक 23.08.2018 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.08.2028 तक मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्रमांक 8659/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री विजय आत्मज श्री किशोर कुमार जायसवाल, निवासी –03, भोई मोहल्ला, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 60000 एव मुरुम 3684 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2480, 2526, 2527, 2541, 2542, 2543, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1732 दिनांक 27.07.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. लीज संबंधी विवरण – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के पत्र क्र. 1648 दिनांक 13.07.2021 एवं 1942 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

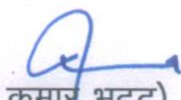
(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. जल आपूर्ति :- परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.0 किलो लीटर प्रतिदिन है (3.4 केएलडी हरित पट्टी विकास + 3.2 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.3 केएलडी पेयजल हेतु + 0.1 केएलडी सोक पिट), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. वृक्षारोपण कार्य-परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 4800 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, गौशाला क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. जनसुनवाई - उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 11.03.2022 को खनन क्षेत्र ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इन्दौर में अपर कलेक्टर, इन्दौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- VI. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम कम्पेल के आंगनबाडी केन्द्र में बच्चों के बैठने के लिये दरी एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाये एवं आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत, पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम कम्पेल के शासकीय स्कूल में सोलर पैनल स्थापित किया जाये।
- ग्राम कम्पेल में ग्राम पंचायत के माध्यम से उज्ज्वला योजना के तहत सोलर कुकर एलपीजी गैस सिलेण्डर का वितरण किया जाये।
- ग्राम कम्पेल के शासकीय प्राथमिक उपचार केन्द्र में 02 स्ट्रेचर एवं 02 व्हील चेयर उपलब्ध कराई जायें।
- ग्राम कम्पेल में सड़क की मरम्मत की जाये एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से चिन्ह लगाये जावें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री विजय आत्मज श्री किशोर कुमार जायसवाल, निवासी -03, भोई मोहल्ला, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 60000 एव मुरुम 3684 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2480, 2526, 2527, 2541, 2542, 2543, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के पत्र क्र. 1648 दिनांक 13.07.2021 एवं 1942 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.07.2031 तक मान्य रहेगी।

15. प्रकरण क्रमांक 8657/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश आत्मज श्री मदनलाल कुंडीवाला, निवासी 185, खाती मोहल्ला, (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2528/1, 2528/2, 2528/3, 2528/4, 2528/5, 2529/1, 2529/2 रकबा 1.978 हेक्टेयर, ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

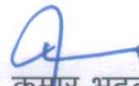
प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1773 दिनांक 30.07.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. लीज संबंधी विवरण — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के पत्र क्र. 1619 दिनांक 06.07.2021 एवं 1962 दिनांक 05.08.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.0 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.7 केएलडी हरित पट्टी विकास + 2.0 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.3 केएलडी पेयजल हेतु + 0.1 केएलडी सोक पिट), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. वृक्षारोपण कार्य—परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 2400 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, गौशाला क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. जनसुनवाई — उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 11.03.2022 को खनन क्षेत्र ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इन्दौर में अपर कलेक्टर, इन्दौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
- iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- v. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- vi. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम तेल्याखेड़ी के शासकीय स्कूल में सोलर पैनल स्थापित किया जाये एवं स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत, पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जाये।
 - ग्राम तेल्याखेड़ी में ग्राम पंचायत के माध्यम से उज्ज्वला योजना के तहत सोलर कुकर एलपीजी गैस सिलेण्डर का वितरण किया जाये।
 - ग्राम तेल्याखेड़ी के शासकीय प्राथमिक उपचार केन्द्र में 02 स्ट्रेचर एवं 02 व्हील चैयर उपलब्ध कराई जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश आत्मज श्री मदनलाल कुंडीवाला, निवासी 185, खाती मोहल्ला, (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2528/1, 2528/2, 2528/3, 2528/4, 2528/5, 2529/1, 2529/2 रकबा 1.978 हेक्टेयर, ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के पत्र क्र. 1619 दिनांक 06.07.2021 एवं 1962 दिनांक 05.08.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.07.2031 तक मान्य रहेगी।

16. प्रकरण क्रमांक 8656/2021 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री कृष्णा इन्टरप्राइजेस, श्री मंगल स्टेट, शुभ लाभ वैली, बंगाली चौराहा, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 28821 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरुम 15169 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2470, रकबा 1.30 हेक्टेयर, ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन शुकला)

(अरुण कुमार भट्ट)

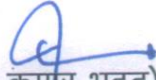
प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1771 दिनांक 30.07.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. लीज संबंधी विवरण – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के पत्र क्र. 1535 दिनांक 28.06.2021 एवं 1903 दिनांक 05.08.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.0 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.2 केएलडी हरित पट्टी विकास + 2.5 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.3 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. वृक्षारोपण कार्य-परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 1560 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, गौशाला क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. जनसुनवाई – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 11.03.2022 को खनन क्षेत्र ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इन्दौर में अपर कलेक्टर, इन्दौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- vi. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- vii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1590 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम तेल्याखेड़ी के शासकीय स्कूल में 2000 लीटर की पानी की टंकी स्थापित की जाये एवं पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- ग्राम कम्पेल के आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मत, पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जाये तथा 02 पंखे, स्टेशनरी का सामान एवं एक वर्ष तक महिला बाल विकास के परामर्श से पोषण आहार वितरित किया जाये।
- ग्राम कम्पेल के प्राथमिक उपचार केन्द्र की मरम्मत व पुताई रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं 01 बेड उपलब्ध कराया जाये।
- ग्राम पेड़मी में ग्राम पंचायत के माध्यम से उज्ज्वला योजना के तहत सोलर कुकर एलपीजी गैस सिलेण्डर का वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री कृष्णा इन्टरप्राइजेस, श्री मंगल स्टेट, शुभ लाभ वैली, बंगाली चौराहा, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 28821 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरुम 15169 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2470, रकबा 1.30 हेक्टेयर, ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के पत्र क्र. 1619 दिनांक 06.07.2021 एवं 1962 दिनांक 05.08.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.07.2031 तक मान्य रहेगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

17. प्रकरण क्रमांक 9102/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र कुमार चौबे आत्मज स्व. श्री इन्द्रमूल चौबे, निवासी— एचएससीएल कॉलोनी, अनपरा, तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16150 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 646, 654, रकबा 1.210 हेक्टेयर, ग्राम भरसेड़ी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

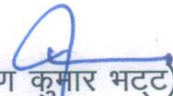
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त, रीवा की बैठक दिनांक 29.12.2021 के परिपालन में वन सीमा की ओर वृक्षारोपण, चैनलिंग फेन्सिंग एवं ट्रैचिंग किये जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
- ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1500 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम भरसेड़ी के शासकीय स्कूल में एक अलमारी एवं 10 कुर्सियां वितरित की जाये व स्कूल बिल्डिंग का रंगरोगन कार्य किया जाये।
 - ग्राम भरसेड़ी के शासकीय उपचार केन्द्र में 02 स्ट्रेचर एवं 02 व्हील चेयर उपलब्ध कराई जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र कुमार चौबे आत्मज स्व. श्री इन्द्रमूल चौबे, निवासी- एचएससीएल कॉलोनी, अनपरा, तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16150 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 646, 654, रकबा 1.210 हेक्टेयर, ग्राम भरसेड़ी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली का पत्र क्र. 150 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.01.2032 तक मान्य रहेगी।

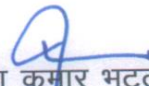
18. प्रकरण क्रमांक 9103/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अखिलेश शर्मा आत्मज श्री हरिनारायण शर्मा, निवासी-पीपलखेड़ा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9750 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 296, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम शाढौरा, तहसील शाढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्राणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम शाढौरा के शासकीय प्राथमिक शाला में शौचालय का निर्माण मय पानी के उचित व्यवस्था के साथ एवं स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत व पुताई का कार्य किया जाये।
- ग्राम शाढौरा के शासकीय प्राथमिक शाला में पीने के पानी हेतु पानी की टंकी मोटर के साथ स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

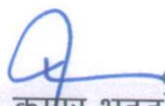
प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्री अखिलेश शर्मा आत्मज श्री हरिनारायण शर्मा, निवासी-पीपलखेड़ा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9750 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 296, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम शाढौरा, तहसील शाढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर का पत्र क. 507 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.01.2031 तक मान्य रहेगी।

19. प्रकरण कमांक 9104/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री रमाशंकर सिंह निवासी- पारीछा, तहसील व जिला झांसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 104934 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा नं. 941/3/1, ग्राम भीतरी, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

- (i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.
- (ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.
- (iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.
- (v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.
- (vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).
- (vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).
- (viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.
- (ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.
- (x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.
- (xi) The Methodologies of cluster environment management plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्रमांक 9105/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.एस. कंस्ट्रक्शन कम्पनी, फिरोजपुर, झिरका मेवात, हरियाणा-122104, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 220590 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 417, 418, 422, 423, 427, 428, रकबा 3.470 हेक्टेयर, ग्राम बडकागोव, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

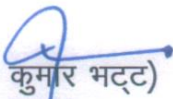
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 04 पेड़ों को बिना सक्षम प्राधिकारी के नहीं काटा जायेगा एवं इसके एवज में 40 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।
- III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम बड़कागोंव के आंगनबाड़ी केन्द्र में 01 वर्ष तक महिला बाल विकास के परामर्श उपरांत पोषण आहार वितरित किया जाये।
- ग्राम बड़कागोंव के शासकीय माध्यमिक स्कूल में 02 कम्प्यूटर सिस्टम एवं 02 प्रिन्टर उपलब्ध कराये जायें।
- ग्राम बड़कागोंव के शासकीय अस्पताल में व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर वितरित किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.एस. कंस्ट्रक्शन कम्पनी, फिरोजपुर, झिरका मेवात, हरियाणा-122104, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 220590 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 417, 418, 422, 423, 427,


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

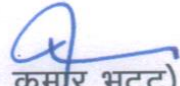
428, रकबा 3.470 हेक्टेयर, ग्राम बडकागाँव, तहसील घाटीगाँव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर का पत्र क्र. 10378 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा 02 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.03.2024 तक मान्य रहेगी।

21. प्रकरण क्र. 8694/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी-मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 239 भाग, ग्राम मालिखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 565वीं बैठक दिनांक 16.04.2022, 536वीं बैठक दिनांक 17.12.2021 एवं 518वीं बैठक दिनांक 08.10.2021 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

- (i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.
- (ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.
- (iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.
- (iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.
- (v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.
- (vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).
- (vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).
- (viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

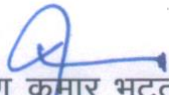

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

- (ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.
- (x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.
- (xi) The Methodologies of cluster environment management plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही कलेक्टर जिला भोपाल से उक्त खदान क्षेत्र में खनन कार्य किया जा सकता है अथवा नहीं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

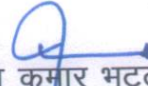

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिजपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनिज पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माइनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनिज पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट-2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

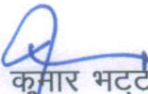
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट-3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

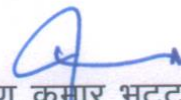
1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

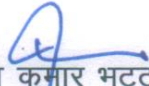
15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट-4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेज़ी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पट्टवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ट दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष